

## राजस्थान सरकार

### निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/ए-62/2018/

दिनांक:-

### आदेश

श्रीमती अम्बिका पुत्री श्री मानसिंह नर्स-2, प्रधानाचार्य सवाई मान सिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियन्त्रक संलग्न चिकित्सालय जयपुर का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र के आधार पर निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है

क्र. सं.	दिनांक से	दिनांक तक	अवधि दिवस में	अवकाश का प्रकार
1	24.10.16	02.11.16	10	असाधारण अवकाश
2	08.12.16	10.12.16	03	
3	27.10.17	02.11.17	07	
4	03.02.18	10.02.18	08	
कुल योग			28	

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.1(2)FD(Rules)/06/Part-1 दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक उनके परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 8/10/2018

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/ए-62/2018/1372

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधानाचार्य सवाई मान सिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियन्त्रक संलग्न चिकित्सालय जयपुर।
2. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करें।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर